रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 24, 2007/कार्तिक 2, 1929
No. 323] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2007/KARTIKA 2, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2007

सं. 73 (आर ई-2007)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/733/एएम-08/पीसी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1(आर ई-2007) में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आर ई- 2007) के पैरा 3.20.1, पैरा 3.21.1 और पैरा 3.22.2 के अंत में निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाता है :—

"उपरोक्त प्रक्रिया केवल ईडीआई समर्थित पत्तनों के संबंध में लागू रहेगी । तथापि, गैर-ईडीआई पत्तनों के माध्यम से निर्यात के मामले में, प्रत्येक पत्तन हेतु सभी पोतलदानों को समेकित करते हुए आवेदन अलग से दाखिल किए जाएंगे । गैर-ईडीआई पोत लदानों हेतु ऐसा आवेदन पूरक आवेदन नहीं माना जाएगा चाहे अवधि (अप्रैल-सितम्बर या अक्तूबर-मार्च अवधि) की पुनरावृत्ति हुई हो ।"

2. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आर ई-2007) के पैरा 3.23.3 के अंत में निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाता है :—

"उपरोक्त प्रक्रिया केवल ईडीआई समर्थित पत्तनों के संबंध में लागू रहेगी । गैर-ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गये निर्यातों के मामले में पंजीकरण का पत्तन ही निर्यातों का पत्तन होगा ।"

3. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आर ई-2007) के पैरा 3.23.4 के अंत में निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाता है :—

"उपरोक्त प्रक्रिया केवल ईडीआई समर्थित पत्तनों के संबंध में लागू रहेगी । गैर-ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गये निर्यातों के मामले में, स्क्रिप जारी करने के बाद विखण्डन की सुविधा की अनुमति नहीं दी जायेगी ।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 24th October, 2007

No. 73(RE-2007)/2004—2009

F. No. 01/94/180/733/AM 08/PC-I.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures, Vol.-I (RE-2007) :—

1.The following sub-para is added at the end of Para 3.20.1, Para 3.21.1, and Para 3.22.2 of Handbook of Procedure Vol.-I (RE-2007):

" The above procedure shall be applicable only in respect of EDI enabled ports. However, in case of exports through non-EDI ports, separate application shall be filed consolidating all shipments for each port. Such application for non-EDI shipments shall not be treated as supplementary application even if periodicity (April-Sept. or Oct.-March periods) is repeated."

2. The following sub-para is added at the end of Para 3.23.3 of Handbook of Procedure, Vol.-I (RE-2007):—

"The above procedure shall be applicable only in respect of EDI enabled ports. In case of exports through non-EDI ports, the port of registration shall be the port of exports."

3. The following sub-para is added at the end of Para 3.23.4 of Handbook of Procedure, Vol.-I (RE-2007) :—

"The above procedure shall be applicable only in respect of EDI enabled ports. In case of exports through non-EDI ports, the facility of splits shall not be allowed, after issue of scrip."

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
and ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.